

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम अखिलेश चन्द मानसिंह वगैरह

प्रा.पत्र नम्बर 203/2021

GCMS No.2021/264

तारीख हुक्म


हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख में
जारी हुए

22.09.2021

वकील अप्रार्थी श्री अशोकपुरी एवं अप्रार्थी मानसिंह पुत्र उम्मेदसिंह राजपूत निवासी नयाबास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि उपरोक्त भूमि में अप्रार्थी ने अपने हक हिस्से की भूमि से कंटीली झाड़िया हटाकर भूमि को समतल किया है, किसी भी प्रकार से वाणिज्यिक आवासीय अकृषि प्रयोजनार्थ काम में नहीं लिया गया है तथा भविष्य में उसके द्वारा उक्त अपने हिस्से की भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लिये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी से भू-रूपान्तरण करवा कर उपयोग में लिया जावेगा, वर्तमान में किसी प्रकार का अकृषि प्रयोजनार्थ गतिविधि नहीं की जा रही है, उपरोक्त भूमि में अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की क्षति कारित नहीं की जा रही है, प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं है न ही किसी भी प्रकार की क्षति होने वाली है, अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि का विधिवत खातेदार काश्तकार है इसलिए प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्तुत जवाब मय शपथ-पत्र का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि में किसी प्रकार से अकृषि कार्य नहीं किया गया है तथा अप्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुये तथा जब भी प्रश्नगत भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ में उपयोग में लेने से पूर्व सक्षम अधिकारी से भू-रूपान्तरण कराने का कथन किया है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्ण्य क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं, चूंकि प्रश्नगत भूमि मौके पर समतल ही की गई है तथा कंटीली झाड़िया हटाकर समतल की गई है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत जवाब शपथ-पत्र से होती है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

